

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत रतना मीना, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, लोरवाड़ा, सवाईमाधोपुर से राउमावि, मोरपा, सवाईमाधोपुर किया गया। श्रीमती रतना मीना ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3747/2019 रतना मीना बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.2019 में स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलार्थिया को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में रिक्त पद दर्शाते हुए इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के निर्णय के क्रम में श्रीमती रतना मीना द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के पति के सवाईमाधोपुर में व्याख्याता पद पर कार्यरत होने, स्थानान्तरित स्थान 80 किमी दूर होने तथा सास सुसर के वृद्ध होने के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सवाईमाधोपुर अथवा राउमावि, लोरवाड़ा, सवाईमाधोपुर यथावत की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थिया का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। चूंकि अपीलार्थिया का पदस्थापन सवाई माधोपुर जिले में ही की किया गया है किसी अन्य जिले में नहीं तथा अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 19.12.2019 को अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि, मोरपा, सवाईमाधोपुर में कार्यग्रहण कर लिया गया है। अपीलार्थिया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रश्रसनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थिया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।


(हिमांशु गुप्ता) 16/01
IAS


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 16-01-2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/अभ्यावेदन/रतना मीना/को.के/19-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, सवाईमाधोपुर।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, मोरपा, सवाईमाधोपुर।
8. कार्मिक रतना मीना, व्या0 रसायन विज्ञान राउमावि, मोरपा, सवाईमाधोपुर।
9. गार्ड पंजिका।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर